न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./24/2024

1. अली पुत्र नज्जा
2. पीरू पुत्र नज्जा
3. सुबानी पत्नी नज्जा
4. हेमा पुत्र नज्जा, समस्त जातिगण मेर(मेहरात, काठात, मेरात–घोड़ात, चीता) निवासीगण देवपुरा तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. आमल पुत्र कालू
2. इस्माईल उर्फ भाला पुत्र लाडू
3. चांद पुत्र कालू
4. प्रेम पत्नी कालू
5. यास्मीन पुत्री कालू
6. शेख पुत्र कालू
7. शमशेर पुत्र कालू
8. ज्नकी पत्नी बाबू
9. बदामी पत्नी हीरा(विलोपित)
10. रोशन पुत्र बाबू
11. साबुद्दीन पुत्र हीरा
12. सायरमल पुत्र हीरालाल समस्त जातिगण मेर(मेहरात, काठात, मेरात–घोड़ात, चीता) निवासीगण देवपुरा तहसील भिनाय केकड़ी
13. सरपंच/सचिव महोदय, ग्राम पंचायत देवपुरा तहसील भिनाय केकड़ी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शम्मी मोहम्मद
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 138 में दर्ज खसरा नं. 356/1934 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.41, और खसरा नं. 358/1815 रकबा 0.13 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 13 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 14 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगणों को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 तथा 10 लगायत 13 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 तथा 10

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

क्रमांक 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 09 का नाम पत्रावली से विलोपित कर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवपुरा के खाता संख्या 138 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा देवपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 138 में दर्ज खसरा नं. 356/1934 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.41, और खसरा नं. 358/1815 रकबा 0.13 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पडौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)